न्यायालय भरण–पोषण कल्याण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 03/2022

1 चम्पादेवी पत्नी गोरधन जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 21 संगरिया पीएस संगरिया
– प्रार्थी

बनाम्

1. शादीराम पुत्र गोरधन जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 21 संगरिया तहसील व पुलिस थाना संगरिया।
2. कृष्णलाल पुत्र गोरधन जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 21 संगरिया तहसील व पुलिस थाना संगरिया।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण अधिनियम की धारा 5 (1) (क) और (ख) के अधीन भरण–पोषण आवेदन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :–

1. श्री प्रेमचंद भारद्वाज– प्रार्थी

निर्णय दिनांक 4/04/2023

प्रार्थना पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार से है कि से है कि प्रार्थीया के पति का नाम गोरधन है, पति के नाम से वार्ड नं. 21 धोबी मोहल्ला स्थित मकान है जिस पर प्रार्थीया के पति गोरधन का कब्जा था। चूंकि प्रार्थीया के पति गोरधन की मृत्यु लगभग 15 वर्ष पूर्व में हो चुकी है। उक्त मकान गोरधन के नाम से है जिस पर अप्रार्थीगण नाजायज रूप से कब्जा कर प्रार्थीया का घर से बेदखल कर दियां है। प्रार्थीया की उम्र 75 वर्ष है तथा प्रार्थीया को भोजन आदि नहीं देते है। तथा लडाई झगडा व मारपीट करते है। प्रार्थीया को घर से बाहर निकाल दिया है। प्रार्थीया के पास आय का कोई साधन नहीं है व रहने का कोई आश्रय नहीं है। प्रार्थीया को उसका मकान वापिस दिलाया जावे व भरण–पोषण पेटे मासिक खर्च दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र बाद सिगेदार रिपोर्ट के प्रकरण सं. 03/2022 से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। बार बार आवाज लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नहीं आये। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 व 2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली का अवलोकन व प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अध्ययन मनन किया गया, अधिनियम (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) के अध्याय 2 की धारा 4 की निम्न उपधारा से स्पष्ट है कि:–

(1) कोई वरिष्ठ नागरिक, जिसके अन्तर्गत माता-पिता हैं, जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन संपत्ति में से स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ है, -

(3) अपने माता-पिता का भरणपोषण करने की बालक की बाध्यता, यथास्थिति, ऐसे माता-पिता अथवा पिता या माता या दोनों की आवश्यकता तक विस्तारित होती है, जिससे कि ऐसे माता-पिता, सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें

अधिकारी
संगरिया (हनुमानगढ़)

आदेश भरणपोषण

(Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) के धारा 9 की उपधारा 1 यदि, यथास्थिति, बालक या नातेदार ऐसे वरिष्ठ नागरिक का, जो स्वयं अपना भरणपोषण करने में असमर्थ हैं, भरणपोषण करने से उपेक्षा या इन्कार करते हैं तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या इन्कार के बारे में समाधान हो जाने पर, ऐसे बालकों या नातेदारों को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के भरणपोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता देने के प्रावधानान्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकरण के आदेश देती है कि:– अप्रार्थी सं. 1 शादीराम पुत्र गोरधन व अप्रार्थी सं. 2 कृष्णलाल पुत्र गोरधन प्रत्येक प्रार्थीया चम्पादेवी पत्नी गोरधन को प्रतिमाह रूपये 2500+2500 (अखरे दो हजार पांच सौ रूपये) कुल 5000 हजार रूपये, बतौर भरण–पोषण (रोटी–कपड़ा–मकान–चिकित्सा पेटे) प्रतिमाह प्रार्थीया चम्पादेवी पत्नी गोरधन जाति कुम्हार निवासी वार्ड 21 संगरिया को अदा करेंगे।।

निर्णय की प्रति पक्षकारों को सूचनार्थ तथा समाज कल्याण अधिकारी संगरिया/हनुमानगढ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 4/4/23 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव)
भरण–पोषण कल्याण अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
दिनांक 4/4/23

क्रमांक/सम/23/ 131-135

प्रतिलिपिः–

1. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को भेजकर लेख है कि निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण को तामिल करवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. थाना अधिकारी संगरिया को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. समाज कल्याण अधिकारी संगरिया/हनुमानगढ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. प्रार्थीया चम्पादेवी पत्नी गोरधन जाति कुम्हार वार्ड 21 संगरिया।
5. अप्रार्थीगण 1 शादीराम पुत्र गोरधन व अप्रार्थी सं. 2 कृष्णलाल पुत्र गोरधन जाति कुम्हार वार्ड 21 संगरिया

(रमेश देव)
भरण–पोषण कल्याण अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official